



# INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

## “भारत सरकार के ऋण-प्राप्तियों का वि”लेशन”

डॉ० आलोक सिंह  
एसोसिएट प्रोफेसर  
वाणिज्य संकाय,

श्री गणेश” राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
डोभी, जौनपुर(यू०पी०)

सार :-

प्रजातान्त्रिक भासन व्यवस्था में जब से लोक-कल्याण कारी राज्यों का विकास हुआ है, जिससे ऋणों का महत्व बढ़ने लगा है। विकास के लिए आन्तरिक एवं वाह्य ऋण लेने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऋण भारतीय बजट प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बजटीय व्यय को संतुलीत करती है। भारत एक विकास”ील दे” है और विकास के पथ पर अग्रसरित है जिसको अपने विकास के लिए अधिक से अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत है इन वित्तीय संसाधनों में ऋण एक अहम वित्तीय साधन है। भारत सरकार द्वारा यदि ऋण का प्रयोग सावधानी से किया जाता है तो यह दे” के विकास में अहम भूमिका आदा करता है लेकिन यदि इसका प्रयोग अच्छी प्रकार से नहीं किया गया तो विकास की गति को बाधित कर सकता है। ऋण का किसी भी दे” के अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पडता है। यदि ऋण को निर्धारित मापदण्ड के तहत प्रयोग किया जाय तो यह दे” के आर्थिक विकास ही नहीं रोजगार, औद्योगिक विकास, कृषि आदि के विकास को प्रोत्साहित करता है और यह मापदण्ड के अनुसार ऋण का प्रयोग नहीं किया जाता है तो यह इन्हे हत्तोसहित भी करता है।

प्रस्तावना :-

सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा प्राप्त किये गये ऋण होते हैं। यह सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है विगत कुछ वर्षों में यह भारतीय वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। भारत सरकार अपने सार्वजनिक ऋण आर्थात् लोक ऋण में केवल उन वित्तीय देनदारियों को शामिल करती है जो भारत के समेकित निधि की भावी प्राप्तियों की गारंटी पर ली गई हो तथा इस निधि से देय हों। इस प्रकार परिभाषित लोक ऋण में बाजार उधार शामिल रहते हैं। दे” के भीतर से लिए गये उधारों को आन्तरिक ऋण तथा दे” के बाहर से लिया गया ऋण को बाह्य ऋण या विदे”ी ऋण कहा जाता है।

भारत सरकार के ऋण का स्रोतः—

वर्तमान भारतीय बजटरी व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के अन्तर्गत तीन प्रकार के ऋण आते हैं—1—आन्तरिक ऋण 2—विदेगी ऋण एवं 3—अन्य ऋण, आन्तरिक एवं विदेगी ऋण भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के अन्तर्गत आते हैं और इसका भूगतान सामेकित कोश के अन्तर्गत सुरक्षित होता है जबकि अन्य ऋण सार्वजनिक खाते में दिखायी जाती है एवं सामेकित कोश के अन्तर्गत सुरक्षित नहीं होती है। भारतीय संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत संसद सार्वजनिक ऋण की सीमा निर्धारित कर सकती है।<sup>1</sup>

भारत में सार्वजनिक ऋण का औचित्यः—

सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में एक प्रश्न उठता है कि सरकार द्वारा उधार लेना कहाँ तक उचित है? सरकार को किन मजबूरियों में उधार लेना आवश्यक हो सकता है तथा किन अन्य परिस्थितियों में वह इसका नीति भास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती है आदि। भारत सरकार के ऋणों का औचित्य को निम्न बिन्दुओं से दिखाया जा सकता है<sup>2</sup>—

1—संतुलित बजटीय नीति का अनुसर्ण करते हुए भी सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों में अल्पावधिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे उधार लेना पड़ सकता है

2—युद्ध, प्राकृतिक आपत्तियाँ आदि सरकार के व्यय में अनपेक्षित बढ़ोतरी लाने का कारण बन सकते हैं तथा सरकार को उधार लेना पड़ सकता है।

3—आधुनिक आर्थिक चिंतन में सरकार की बजटीय नीतियों का एक अग्रणीय स्थान है। अधिकतर सरकारों का भी मत है कि उन्हे लोक कल्याण और अर्थव्यवस्था के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इतने अधिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है कि अधिकतर सरकारों की कर—राजस्व तथा अन्य कर—भिन्न प्राप्तियाँ अपर्याप्त हैं तथा उन्हे उधार लेना पड़ता है। यह बात विगोशकर अवसंचनात्मक सुविधाओं को मुहैया करने तथा अन्य प्रकार से पूँजी निर्माण के मामलों में लागू हाती है। इस प्रकार की गतिविधियों से लोक ऋण के भूगतान के लिए कर—राजस्व में दीर्घकालीन वृद्धि की आशा की जा सकती है। परंतु कल्याणकारी योजनाओं पर किए गए व्यय से भविश्य में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होना आवश्यक नहीं है, केवल इसकी सम्भावना मात्र है।

4—लोक ऋण के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि इसके माध्यम से एक विकासशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा और साखकी बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस प्रकार को अर्थव्यवस्था की मुद्रा और साख की आवश्यकता दो कारणों से लगातर बढ़ती रहती है, अर्थात् (क)—अर्थव्यवस्था के विकास के साथ इसकी बढ़ती गतिविधियों का वित्त—पोशण, तथा (ख)—कय—विकय और उधार की गतिविधियों के बढ़ते अनुपात का मौद्रीकरण। क्योंकि मुद्रा एवं साख अंततः सरकारी करेंसी तथा उधार पर निर्भर करत है, अतः यह आवश्यक है कि विकास की प्रक्रिया को सुदृढता प्रदान करने के लिए सरकार सार्वजनिक ऋण में बढ़ोतरी करे।

सार्वजनिक ऋण की सीमा :—

यहाँ पर एक बुनियादी प्रश्न यह उठता है कि क्या एक सामान्य सरकार अपनी इच्छानुसार असीमित उधार ले सकती है? क्या इसके देय—ऋण की संचित मात्रा की कोई सीमा है? इस प्रश्न के पीछे एक सत्य यह भी है कि पिछले कुछ दशकों में भारत सरकार सहित अनेक सरकारों के ऋण में चिंताजनक तीव्रता से वृद्धि हुई है तथा कुछ सरकारें ऋण के फन्दे में फस चुकी हैं अर्थात् उन्हे अपने पहले के ऋण के ब्याज तथा मूल के भूगतान हेतु भी नए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है।

लेक ऋण की सीमा का पहला प्रतिबन्ध यह है कि प्रति वर्ष नये उधार की राशि में हो रही वृद्धि है। प्रतिवर्ष उधार में निवल वृद्धि हो सकती है, उधार की सकल परिपुद्ध देय राशि हो सकती है अथवा ऋण की सकल राशि/राष्ट्रीय उत्पाद का एक अनुपात हो सकती है। इसी प्रकार ऐसे एक अथवा एक से अधिक अर्थों में सीमा का निर्धारण किसी कानून अथवा सरकार द्वारा स्वयं ही अपनाए गये किसी संकल्प के अनुसरण में हो सकता है।

एक आधुनिक सरकार को अपने ऋण नीति को तय करते हुए, कानूनी प्रतिबन्धनों एवं स्वमंयम के अतिरिक्त, सार्वजनिक ऋण की अत्यधिक बढ़ोतरी से सरकार की बजटीय नम्यता घटती है। ऋण के ब्याज तथा मूलधन की बढ़ती अदायगी-राशियों के कारण सरकार की अन्य बजटीय मदों पर व्यय करने की क्षमता घट जाती है।

लोक ऋण की अधिकता से निजी निवेश पर कई प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पडने का डर रहता है। प्रथम, निजी निवेश के लिए उधार लेने के स्रोत भुशुक होने लगते हैं। द्वितीय, ब्याज की दर में वृद्धि के कारण न केवल उत्पादन लागत बढ़ती है, प्रत्युत मुद्रस्फीति का दबाव भी बढ़ जाता है। इससे देश के भीतर वितरणीय असमानताओं में वृद्धि के अतिरिक्त व्यापार संतुलन बिगड सकता है। तृतीय, सरकार के लोक ऋण में केन्द्रीय बैंक से लिए गए उधार के अनुपात की अधिकता होने से उपरोक्त दुश्परिणामों की तीव्रता और भी बढ़ जाती है।

दीर्घकाल में आर्थिक विकास के साथ-साथ उपरोक्त संभावित परिणाम संशोधनीय हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कि सार्वजनिक ऋण की सर्वोपयुक्त राशि क्या है? काफी हद तक राष्ट्रीय आय के आकार पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की वित्त पोषण की आवश्यकता बढ़ती है। परन्तु वित्त उपलब्धि का अंतिम आधार सार्वजनिक ऋण होता है, अतः आर्थिक विकास के साथ-साथ सार्वजनिक ऋण की इष्टतम मात्रा भी बढ़ती जाती है। जब सरकार अपनी ऋण नीति को काफी नियंत्रित एवं सुचारु रूप संचालन करें, उधार लेने में संयम और सावधानी बरते, और इसे केवल प्राथमिकता वाली मदों पर व्यय करने का प्रयत्न करे तो सार्वजनिक ऋण देश एवं अर्थव्यवस्था के लिए हितकर होती है। सार्वजनिक ऋण को कानूनी तौर पर सीमाबद्ध करने के पक्ष में एक सक्षम तर्क यह है कि अधिकतर सरकारों में अपने व्यय को अनुचित स्तर तक तीव्रता से बढ़ाने की सहज प्रवृत्ति होती है यदि इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगाया जाए तो एक सामान्य सरकार ऋण लेकर भी इस प्रवृत्ति की तुष्टि करने की चेष्टा करती है। इस मामले में इसके विवेक पर भारोसा करना खतरों से खाली नहीं है।

सार्वजनिक ऋण और आर्थिक विकास :- आर्थिक विकास एक बहुआयामी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें एक सुसंगठित लोक ऋण नीति की महत्वपूर्ण योगदान होता है। परन्तु ऐसी ऋण नीति की संरचना और उसके कार्यान्वयन में अनेको कठिनाइयाँ आती हैं। आर्थिक विकास के साथ मुद्रा और सख की आवश्यकता भी बढ़ती है, जिसके दो कारण हैं-आर्थिक गतिविधि में बढ़ोतरी तथा उनमें मुद्राकृत गतिविधियों के अनुपात में दीर्घकालीन वृद्धि होता है। अर्थव्यवस्था में वित्तीय लेन-देन के सभी करार करेन्सी की मात्राओं में होने के कारण सरकार की वित्तीय देयताओं में वृद्धि किए बिना उपरोक्त बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती। करेन्सी समस्त वित्तीय ढाँचे की बुनियाद का काम करती है तथा सामान्यतः करेन्सी की प्रचलीत मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार को उधार लेना पडता है। यह भी स्मरणीय है कि यदि सरकार उधार लेने में लापरवाहि बरते अथवा ऋण राशियों को उपभोग व्यय-मदों पर लगा दे तो अर्थव्यवस्था का वित्तीय ढाँचा लाभान्वित होने के स्थान पर क्षतिग्रस्त हो सकता है।

प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपनी उत्पादन क्षमता बनाये रखने के लिए बचत एवं निवेश की आवश्यकता होती है। एक अल्पविकसित देश की यह आवश्यकता और भी अधिक होती है परन्तु ऐसी अर्थव्यवस्था को बचत और पूंजी निर्माण में सामान्य से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रतिव्यक्ति आय के कम होने के कारण तथा गरीब लोगों की संख्या अधिक होने के कारण इसकी बचत क्षमता अति कम होती है इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार से कुछ प्रभावी कदमों की अपेक्षा की जाती है। सरकार यदि अपनी राजस्व प्राप्तियों में से समुचित बचत और पूंजी निवेश करने में असमर्थ हो तो उधार लेकर उन मदों पर व्यय कर सकती है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बचत निवेश तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं।

सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था के निवेश संसाधनों का विकासोन्मुख पुनराबंटन एवं आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है। ध्यानयोग्य बात यह है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक उधार की प्राप्तियों का उपयोग व्यय एवं अन्य अनुत्पादक मदों पर लगा देने पर आर्थिक विकास के प्रोत्साहित होने की आशा नहीं की जा सकती परन्तु सार्वजनिक उधार से लोक कल्याण की योजनाओं के वित्त पोषण की नीति विवादास्पद है। एक मतानुसार लोक कल्याण के वित्त पोषण के लिए सरकार के उधार लेकर नहीं, बल्कि कर तथा कर भिन्न राजस्व में बढोत्तरी तथा अपने अनावश्यक व्यय में कटौती द्वारा साधन जुटाने चाहिए।

भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का विश्लेषण:-

(भारत सरकार की ऋण प्राप्ति स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

(तालिका -क)

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स.घ.उ.	ऋण प्राप्ति	प्रतिशत
2012-13 वास्त.	10028118	541230	5.39712437
2013-14 वास्त.	11355073	522029	4.59731963
2014-15 वास्त.	12653762	432973	3.42169388
2015-16 वास्त.	13567192	532782	3.92698799
2016-17 वास्त.	15075429	535619	3.55292708
2017-18 वास्त.	16784679	591062	3.52143762
2018-19 वास्त.	18840731	649418	3.44688324
2019-20 सं.अ.	21100607	766846	3.63423668
2020-21 ब.अ.	22489420	797337	3.54538712

(स्रोत-भारत सरकार का बजट दस्तावेज-प्राप्ति बजट में पूंजी प्राप्ति (2012-13 से 2020-21 तक)

सकल घरेलू उत्पाद 2012-13 से 2020-21 तक के बजट सार के संसोधित अनुमान से)

किसी भी देश की सरकार को मनमाने ढंग से ऋण लेने की छूट नहीं होती है यदि ऋण लेने की सीमाओं का उल्लंघन किया जाय तो इसका प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत सरकार की ऋण प्राप्ति की तुलना तालिका-क से की जाय तो स्पष्ट होता है की भारत सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2012-13 में 541230 करोड़ रूपया था जो 2020-21 के बजट अनुमान में बढ़कर 797337 करोड़ रूपया हो गया इस तहस से देखते हैं कि भारत सरकार का ऋण वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ की बजट राजस्व में ऋण की भूमिका वर्ष दर वर्ष महत्वपूर्ण रहा है। भारत द्वारा लिए जाने वाले ऋण में वाह्य ऋण की मात्रा में भी लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है जिससे हमारा वही दायित्व भी लगातार बढ़ रहा है तथा वही निर्भरता भी बढ़ता जा रहा। जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं। भारत सरकार को बजट घाटे को कम करना चाहिए और ऋण की निर्भरता भी कम करनी चाहिए।

भारत सरकार के ऋण राजस्व की तुलना सकल घरेलू उत्पाद से की जाय तो स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में ऋण की मात्रा सकल घरेलू उत्पाद के 5.39 प्रतिशत थी जो 2020-21 के बजट अनुमान में घट कर 3.54 प्रतिशत हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में ऋण की मात्रा अद्यापि कम हुई है फिर भी यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत बना हुआ है जो देश तथा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। भारत सरकार की ऋण लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए नहीं तो यह हमारी देश एवं अर्थव्यवस्था के लिए हितकर नहीं है।

वर्तमान समय में भारत सरकार का बढ़ता ऋण बजट के लिए हितकर नहीं है क्योंकि बजट का अधिकांश भाग ऋण एवं उसके ब्याज का भुगतान करने में चला जा रहा है तथा विकास के लिए पर्याप्त धनराशि बजट के माध्यम से आवंटित नहीं हो पा रहा है। अतः भारत सरकार को ऋण लेने की प्रवृत्ति में सुधार करना चाहिए।

**निष्कर्ष :-** ऋण घाटे की वित्तीय व्यवस्था का बजट में एक उपयोगी साधन है। जब सरकार का व्यय, आय से अधिक होता है तो इसे घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहा जाता है। सरकार को इस आधिक्य व्यय को पूरा करने के बहुत से साधन होते हैं जिसमें ऋण का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऋण आन्तरिक एवं वाह्य दो प्रकार के होते हैं। ऋण सरकार का एक दायित्व होता है जैसे-जैसे ऋण की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे-वैसे सरकार का दायित्व भी बढ़ता जाता है। जब ऋण का भुगतान किया जाय तो मूलधन के अलावा ब्याज का भी भुगतान भी करना होता है। ऋण की राशि आवस्यकता से अधिक हो जाय तो बजट आय का अधिकांश भाग ऋण एवं ब्याज के भुगतान में चला जाय है जिससे देश के विकास के लिए उपलब्ध राजस्व की मात्रा कम हो जाती है और देश का वास्तविक विकास नहीं हो पाता है।

ऋण के सम्बन्ध में उपरोक्त किये गये विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि ऋण का प्रयोग नियंत्रित रूप से किया जाय तो यह देश के विकास को आगे ले जा सकता है तथा इसे अनियंत्रित रूप से प्रयोग किया गया तो यह देश के विकास को पिछड़ा भी सकता है। अतः सरकार को ऋण साधन का प्रयोग नियंत्रित रूप से करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

- 1—प्रो० एस.एन लाल—'मुद्र, बैंकिंग तथा लोक वित्त 2009' पेज. नं.—241, विश्व पब्लिशिंग हाउस इलाहाबाद
- 2—डॉ० एच०एल० भाटिया—लोक वित्त पेज० नं० 174